



**National Council for Teacher Education**  
G-7, Sector-10, Near Metro Station, Dwarka,  
Delhi-110075

### **PUBLIC NOTICE**

The National Council for Teacher Education is a statutory body that came into existence in pursuance of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993) on the 17<sup>th</sup> August, 1995 to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of Norms and Standards in the teacher education system and for matters connected therewith.

2. As per provisions of the NCTE Act, 1993 and NCTE Regulations 2014, as amended from time to time, Performance Appraisal Report (PAR) is required to be submitted annually by the existing Teacher Education Institutions (TEIs). Accordingly, NCTE had issued a Public Notice on 22.09.2019 directing all TEIs running NCTE recognised Teacher Education Courses to file PAR for academic session 2018-19. The last date for submission of PAR was 31.12.2019 which was later on extended till 20.01.2020 (Mid night).
3. Aggrieved with the said Public Notice, a number of TEIs approached the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. No. 11304/2019 and obtained stay thereon. Hon'ble High Court of Delhi in W.P. No. 11304/2019 pronounced the Judgment on dated 27.5.2021 upholding the decision of NCTE requiring the TEIs to file PAR.
4. In view of decision of the Hon'ble High Court of Delhi, PAR is now required to be mandatorily submitted by all TEIs online on the NCTE portal (<https://ncte.gov.in/PAR>) and it should be submitted for the academic sessions 2020-2021 through online method. Necessary payments be made as given in the general instructions.
5. Timeline to submit the online PAR shall be from 30.09.2021 to 29.01.2022 (mid night).

  
(Kesang Yangzom Sherpa)  
Member Secretary



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
जी-7, सेक्टर-10, मेट्रो स्टेशन के पास, द्वारका,  
दिल्ली-110075

सार्वजनिक सूचना (संशोधित हिन्दी रूपान्तरण)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक वैधानिक निकाय है जो पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियम और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के अनुसरण में अस्तित्व में आया था।

2. एनसीटीई अधिनियम, 1993 और एनसीटीई विनियम 2014 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) द्वारा सालाना प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) भरा जाना आवश्यक है। तदनुसार, एनसीटीई ने 22.09.2019 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी टीईआई को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये पीएआर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। पीएआर जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2019 थी जिसे बाद में 20.01.2020 (मध्य रात्रि) तक बढ़ा दिया गया था।

3. उक्त सार्वजनिक सूचना से असन्तुष्ट, कई टीईआई ने डब्ल्यू.पी. क्रमांक 11304/2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उस पर स्टे प्राप्त किया। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने डब्ल्यू.पी. संख्या 11304/2019 में दिनांक 27.05.2021 को एनसीटीई के उस निर्णय को बरकरार रखते हुए निर्णय सुनाया जिसमें टीईआई को पीएआर दाखिल करने की आवश्यकता थी।

4. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, पीएआर को अब सभी टीईआई द्वारा एनसीटीई पोर्टल (<https://ncte.gov.in/PAR>) अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसे ऑनलाइन विधि के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए भरा जाना है। आवश्यक भुगतान, सामान्य निर्देशानुसार किया जाए।

5. ऑनलाइन पीएआर जमा करने की समय सीमा 30.09.2021 से 29.01.2022 (मध्य रात्रि) तक होगी।

के. वाई. शेरपा  
(केसांग यांगजोम शेरपा)

सदस्य सचिव